कार्यालय,निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/माध्य/शालादर्पण/2016 दिनांक– 23.02.2016

समस्त संस्थाप्रधान
राजकीय माध्यमिक /उच्च माध्यमिक विद्यालय
राजकीय बा0 माध्यमिक/बा0 उच्च माध्यमिक विद्यालय

विषयः– शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय की सूचनाओं का अपडेशन एवं सूचनाओं का मिलान करने के संबंध में।

शाला दर्पण पोर्टल पर राज्य के समस्त विद्यालयों के भौतिक संसाधनों, कार्मिकों एवं विद्यार्थियों की सूचनाऐं उपलब्ध कराई गई हैं। प्रत्येक संस्था प्रधान, प्रति दिवस कार्यारम्भ से पूर्व शाला दर्पण पर अपलोड़ आदेश/परिपत्र/सूचना देखें, आवश्यकतानुसार उसका प्रिंट लेकर निर्देश की पालना करें, साथ ही स्वयं के विद्यालय की प्रविष्ट की गई समस्त सूचनाओं का भी अवलोकन करें। उक्त सूचनाएं विभागीय योजनाओं एवं उनकी कियान्विति का आधार हैं। इनका सही होना एवं नियमित रूप से अद्यतन होना आवश्यक है । इस कम में आप निम्न बिन्दुओं की कार्यवाही आवश्यक रूप से करना सुनिश्चित करावें:–

1. विद्यालय की सूचनाओं में कमोन्नति वर्ष (ओल्ड/न्यू) की सही प्रविष्टि प्रपत्र 6 में सुनिश्चित करना।
2. विद्यालय में संचालित संकाय एवं विषय की मेंपिंग करना, जिसमें तृतीय भाषा की सूचना को वेरीफाइ कर सही प्रविष्टि करना।
3. विद्यार्थियों के विस्तृत विवरण(प्रपत्र–9) को "डाउनलोड प्रपत्र" से डाउनलोड कर प्रिन्ट निकाल कर भरवाएं फिर उनकी शाला दर्पण में ऑनलाइन प्रविष्टि करें ।
4. राज्य सरकार के निर्णयानुसार विद्यार्थी का नाम पृथक करण /स्थानान्तरण प्रमाण पत्र पोर्टल द्वारा ही जारी किया जावे। पूर्व के विद्यार्थी जिनका नाम पोर्टल पर नहीं है, की टी0 सी0 पुराने तरीके से ही जारी करें।
5. नवप्रवेश एवं पुनः प्रवेश भी शाला दपर्ण पोर्टल के माध्यम से किया जाना है।
6. जिस विद्यार्थी का नाम पहले से ही शाला दर्पण में है वो विद्यार्थी इस वर्ष उत्तीर्ण होने पर शाला दर्पण में अगले सत्र में अगली कक्षा में स्वतः कमोन्नत कर दिया जाएगा।
7. विद्यार्थी की प्रवेश तिथि SR Register के अनुसार ही भरें।
8. विद्यालय की कक्षावार कुल मासिक कार्यदिवस प्रविष्टि एवं प्रत्येक विद्यार्थी की इस सत्र की मासिक उपस्थिति की भी पोर्टल पर प्रविष्टि करें।
9. कार्मिकों की कार्यमुक्ति ,कार्यग्रहण एवं सेवानिवृत्ति आदेश, पोर्टल के माध्यम से ही जारी किया जावे।
10. नियत मानदेय पर कार्यरत समस्त सेवानिवृत कार्मिकों की प्रविष्टि पोर्टल पर (प्रपत्र 3 A में) करना सुनिश्चित करें।

(बी.एल स्वर्णकार)
आई.ए.एस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर